भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1651

(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया गया)

आईईपीएफए द्वारा धन वापसी

1651. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री मोहनभाई कुंडारियाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) द्वारा दावों की धन वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान द्वारा दामोदरम संजीवैय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (डीएसएनएलयू) के साथ साझेदारी में अनुसंधान और प्रकाशन हेतु पाठ्यक्रम के लिए विकल्प प्रदान करने, ज्ञान वृद्धि, क्षमता निर्माण, जगरूकता और कानून संबंधी कार्यों में सहायता के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): सा.का.नि. 854(अ) दिनांक 05.09.2016 के तहत अधिसूचित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 (नियम) समय-समय पर संशोधित किए गए हैं। आईईपीएफए के समक्ष दायर दावों की वापसी की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए, उक्त नियमों को दिनांक 09.11.2021 के सा.का.नि.785(अ) द्वारा संशोधित किया गया था। दावेदारों के लिए, अग्रिम रसीद की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है, भौतिक और डीमैट दोनों शेयरों के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/वसीयत की परख/वसीयत की अपेक्षा में 5,00,000 रुपये तक की छूट दी गई है दस्तावेजों के नोटरीकरण को स्व-सत्यापन से प्रतिस्थापित किया गया है। कंपनियों के लिए, अदावाकृत सस्पेंस खाते से संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करने की आवश्यकता में छूट दी गयी है, कंपनियों को अपनी आंतरिक अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, वसीयत आदि जैसे संचरण दस्तावेजों को स्वीकार करने की छूट दी गई है और भौतिक शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान के लिए समाचार पत्र विज्ञापन की अपेक्षा को 5,00,000 रुपये तक की राशि तक माफ कर दिया गया है। दावेदारों द्वारा दावे फाइल करने और कंपनियों द्वारा ऐसे दावों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है।

जारी...2/-

इसके अतिरिक्त, जैसाकि बजट में घोषणा की गई थी, निवेशकों के लिए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से दावा न किए गए शेयरों और अप्रदत्त लाभांश को आसानी से पुन:प्राप्त करने के लिए, एक एकिकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

(ग): भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, शैक्षिक सहयोग आईआईसीए ने 14 दिसंबर, 2022 को दामोदरम संजीवैय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएसएनएलवीयू) के साथ, जिसमें विधि के क्षेत्र सहित समकालीन महत्व के डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की पेशकश का प्रस्ताव और पुरस्कार, संकाय सदस्यों और छात्रों का आदान-प्रदान; अनुसंधान और प्रकाशन; अन्य शैक्षणिक कार्यकलाप; समाज के लिए जागरूकता/आउटरीज कार्यक्रमों का आयोजन; विशेषज्ञ सलाह और परामर्श की पेशकश और संयुक्त कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों की पेशकश जैसे विषय शामिल हैं; के उदेश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****